<u>गोपनीय</u>

प्रति सं. 3

सं. 12/सीएम/2000

<u>मंत्रिमंडल सचिवालय</u>

<u>साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष (सं. 155) में बुधवार, 29 मार्च, 2000 को 11.00 बजे आयोजित कैबिनेट की बैठक के कार्यवृत्त का निष्कर्ष</u>

<u>प्रकरण सं. 125/12/2000</u> <u>मद 2</u>

<u>गोवा में मोपा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले हवाईअड्डे की स्थापना</u>

मंत्रिमंडल ने नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 17.1.2000 के नोट और दिनांक 14.2.2000 के पूरक नोट पर विचार किया तथा मुख्य नोट के पैराग्राफ 9 में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

<u>*एएनवी*</u> <u>गोपनीय</u>

<u>4 प्रतियाँ</u>

मंत्रिमंडल की प्रक्रिया के संबंध में प्रक्रिया नियम के अनुसार (नियम 10), उस निर्णय को क्रियान्वित करने की कार्यवाही की प्रगति मंत्रिपरिषद के सदस्य की सूचना हेतु मंत्रालय के मासिक सारांश में शामिल की जाए।

कार्यसूची नोट के साथ संलग्न कार्यान्वयन अनुसूची के संदर्भ में उस निर्णय को क्रियान्वित करने की कृत कार्रवाई कैबिनेट सचिवालय को भेजी जाए।

सं. एवी.24011/1/95-वीबी (संस्करण VI)

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

एडी अनुभाग

*****

'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन

सफदरजंग हवाईअड्डा

नई दिल्ली, दिनांक 06 जुलाई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे की स्थापना।

1. अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के दिनांक 13.02.2007 के पत्रांक सीआईडीसीओ/टी&सी/एसीटीई/046/012 का संदर्भ ग्रहण करने का निदेश प्राप्त हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन नवी मुंबई, महाराष्ट्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया हैः

(क) उपयुक्त स्तर पर मंत्रियों का एक शक्तिप्रदत्त समूह, जिसे अंतर-मंत्रालयिक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, निम्नलिखित सहित सभी प्रासंगिक मुद्दों पर विचार करेगीः-

(i) राज्य सरकार द्वारा गैर-निष्पादन या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली किसी देयता से केन्द्रीय सरकार को बचाने की दृष्टि से बोली प्रक्रिया और संविदात्मक पहलुओं सहित कानूनी प्रश्न;

(ii) रक्षा मंत्रालय के सरोकार; और

(iii) क्षेत्र में शहरी और अवसंरचना से संबंधित दबावों और हाल ही में मुंबई में आई बाढ़ से सबक को ध्यान में रखते हुए जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण आयाम

(ख) नागर विमानन मंत्रालय; राज्य सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, महाराष्ट्र नगर एवं उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिडको) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों की एक संचालन समिति गठित करेगा, जो वित्तपोषण प्रस्ताव, निविदा एवं अन्य दस्तावेजों की तैयारी, बोली प्रक्रिया एवं नीतिगत साझेदार के चयन सहित परियोजना की संरचना और कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी।

(ग) पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी साझेदार का चयन किया जाएगा।

(घ) मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एमआईएपीएल) के साथ निष्पादित राज्य सहायता समझौते (एसएसए) के पैरा 3.4.1 के अनुसार, एमआईएपीएल को अपने समीप के

क्षेत्र में दूसरे हवाईअड्डे के संबंध में प्रथम अस्वीकृति का अधिकार (आरओएफआर) प्रदान किया गया है। प्रासंगिक अंश नीचे पुन: प्रस्तुत है:

> "हवाईअड्डे के 150 किमी (एक सौ पचास किलोमीटर) के दायरे में दूसरे हवाईअड्डे के संबंध में प्रथम अस्वीकृति का अधिकार (आरओएफआर) प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन करके जेवीसी को प्रदान किया जाएगा, जिसमें जेवीसी भी भाग ले सकता है यदि वह नीचे दिए अनुसार अपने आरओएफआर का प्रयोग करना चाहता है। यदि जेवीसी सफल बोलीदाता नहीं है, लेकिन इसकी बोली प्राप्त हुई सबसे प्रतिस्पर्धी बोली के 10% की सीमा के भीतर है, जेवीसी को दूसरे हवाईअड्डे के लिए चयन मानदंडों के संदर्भ में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता से मिलान करके आरओएफआर प्राप्त होगा, बशर्ते जेवीसी के पास आरओएफआर का उपयोग करते समय किसी भी परियोजना समझौते के तहत किसी भी भौतिक चूक (एक चूक होने के नाते काउंटर पार्टी को दायित्वों को निलंबित करने और/या समझौते को समाप्त करने का अधिकार) के बिना संतोषजनक प्रदर्शन हो। तथापि, इस खंड 3.4.1 में कोई भी तथ्य भारत सरकार द्वारा चाकन, पुणे या इसके समीप के किसी अन्य स्थान पर दूसरा हवाईअड्डा विकसित करने के किसी भी प्रस्ताव पर लागू नहीं होगा।"

निजी भागीदार के चयन हेतु निविदा दस्तावेज में उपर्युक्त खंड को उचित रूप से शामिल किया जाएगा। मुंबई में दूसरे हवाईअड्डे के संबंध में एमआईएपीएल को कोई अन्य अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं।

2. महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई करे।

ह./-
(अन्ना रॉय)
निदेशक

महाराष्ट्र सरकार
(श्री जॉनी जोसेफ, मुख्य सचिव)
मुंबई।

1. प्रबंध निदेशक, सीआईडीसीओ, सीआईडीसीओ भवन, सीबीडी-बेलापुर, नवी मुंबई को दिनांक 17.01.2007 के पत्र सं. CIDCO/T&C/ACTE/002/011/2007 के संदर्भ में।
2. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली।

ह./-
(अन्ना रॉय)
निदेशक

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
नई दिल्ली - 110003

<u>सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना</u>

आवेदन संख्या: AV.24032/056/2007-AAI

आवेदक का नाम: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम)

पता: उद्योग सारथी, महाकाली केव्ज रोड़, अंधेरी (पू.), मुंबई-93, टेलि-022-26870027, फैक्स-26871587।

निर्णय: संचालन समिति ने 3 सितम्बर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के चिप्पी-पारूले गाँव में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक ग्रीनफील्ड घरेलू हवाईअड्डे की स्थापना के लिए आवेदन पर विचार किया था तथा इस शर्त के अधीन 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया था कि परियोजना उन लक्ष्यों के अनुरूप होगी जिन्हें संचालन समिति द्वारा यथासमय अधिसूचित किया जाएगा।

ह./-
(विजय सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

दिनांकः 29.09.2008

गुप्त

55/2015/एडी अनुभाग-एमओसीए-एमओसीए

एवी.20015/01/2004-एएआई

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

"बी" ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 2008

सेवा में,

मुख्य सचिव,
कर्नाटक सरकार,
विधान सौध,
बैंगलोर।

विषय: गुलबर्गा, शिमोगा, रीजापुर और हासन, कर्नाटक में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का निर्माण।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों पर संचालन समिति ने 13 जून, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में गुलबर्गा, बीजापुर, हासन और शिमोगा में हवाईअड्डे स्थापित करने के कर्नाटक सरकार के प्रस्तावों पर विचार किया और इस शर्त के अधीन इन चार परियोजनाओं को "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया कि पुणे और बीदर में मौजूदा रक्षा अभियानों को ध्यान में रखते हुए गुलबर्गा और बीजापुर में हवाईअड्डों के लिए हवाई क्षेत्र प्रबंधन के संबंध में डीजीसीए, एएआई और रक्षा मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को औपचारिक रूप प्रदान किया जाएगा। परियोजना प्राधिकारी एयरोड्रोम लाइसेंस जारी करने के संबंध में डीजीसीए से संपर्क कर सकते हैं।

भवदीय

ह./-
(अन्ना रॉय)
निदेशक
टेलीफोन: 24658991

प्रतिलिपि: डीजीसीए, नागर विमानन महानिदेशालय, सफदरजंग हवाईअड्डा के सामने, नई दिल्ली।

एफ.सं.एवी-20036/05/97-वीबी खंड II

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन

सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली - 110003

दिनांक फरवरी 19, 2008

विषय: कन्नूर, केरल में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का निर्माण।

1. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि कन्नूर में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए केरल सरकार (जीओके) के प्रस्ताव पर विचार किया गया है और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया जाता है:

(क) **आरक्षित गतिविधियाँ:** हवाईअड्डे पर सुरक्षा, वायु यातायात नियंत्रण, सीमा शुल्क, आव्रजन, एमईटी आदि जैसी कुछ गतिविधियाँ भारत सरकार के लिए आरक्षित होंगी। ये गतिविधियाँ संबंधित केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा निष्पादित की जाएँगी। इन सेवाओं का प्रावधान लागत वसूली के आधार पर होगा और हवाईअड्डा प्रचालक संबंधित एजेंसियों के साथ समझौता करेगा। आरक्षित गतिविधियों से संबंधित लागतों को लागत वसूली तंत्र के माध्यम से वसूला जाएगा और यह राजस्व व्यय का हिस्सा होगा तथा ऐसे में इसे पूंजी में परिणत नहीं किया जाएगा।

(ख) **रियायत समझौता:** भारत सरकार/केरल सरकार, संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी), जिसे हवाईअड्डे के विकास और रखरखाव का कार्य सौंपा जाएगा, के साथ कोई रियायत समझौता नहीं करेगी। संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी), डीजीसीए द्वारा जारी लाइसेंस के तहत हवाईअड्डे का विकास और प्रचालन करेगी। केरल सरकार हवाईअड्डा कंपनी को पट्टे पर दी जाने वाली भूमि/लाइसेंस के संबंध में जेवीसी को कुछ लाभ और रियायतें दे सकती है, जिनमें इसकी शर्तें और ऐसी अन्य शर्तें दर्शाई जाएंगी, जिन्हें राज्य सरकार जेवीसी पर लगाना चाहती हो। कर्नाटक सरकार जेवीसी को कोई अन्य वित्तीय रियायतें देने पर भी विचार कर सकती है।

(ग) **पर्यावरण मंजूरी:** पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने हेतु केरल सरकार परियोजना के अंतिम रूप से तैयार हो जाने के पश्चात पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना, 2006 के अनुसार अपेक्षित जानकारी के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति को प्रस्तुत करेगी।

(घ) **निजी कंपनी का चयन:** केरल सरकार को रणनीतिक निजी साझेदार का चयन करने के लिए पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। भारत सरकार ने पीपीपी परियोजनाओं के लिए एक मॉडल आरएफक्यू और आरएफपी जारी किया है और केरल सरकार बोली प्रक्रिया के लिए इन दस्तावेजों को अपनाने पर विचार कर सकती है।

(ङ) **रक्षा भूमि**: भारतीय नौसेना को भावी नौसेना वायुक्षेत्र के विकास के लिए पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर कम से कम 10 एकड़ भूमि पट्टे पर प्रदान/हस्तांतरित की जाएगी।

(च) **सैन्य विमानों के लिए छूट**: प्रस्तावित हवाईअड्डे का उपयोग करने वाले सभी सैन्य विमानों को लैंडिंग और पार्किंग शुल्क से छूट दी जाएगी।

(छ) **भारतीय वायुसेना की अवसंरचना आवश्यकताएं**: जेवीसी प्रस्तावित हवाईअड्डे के एटीसी परिसर के भीतर एएफएमएलयू, एएफएमएलसी आदि की स्थापना के लिए भारतीय वायुसेना को उपयुक्त कमरा उपलब्ध कराएगी।

(ज) **सुरक्षा आवश्यकताएँ**: जेवीसी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा। ये शर्तें लाइसेंसिंग शर्तों का हिस्सा होंगी। शर्तें इस प्रकार हैं:

क. युद्ध, प्राकृतिक आपदा/विपत्ति, आंतरिक गड़बड़ी इत्यादि जैसे संकटकाल/आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा हवाईअड्डे के अस्थायी उपयोग/अधिग्रहण के संबंध में पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए।

ख. संयुक्त उद्यम कंपनी को सुरक्षा उपकरणों के अधिग्रहण और स्थापना तथा उनके विदेशी सहयोगियों सहित विकासकर्ताओं की साख के सत्यापन के संबंध में गृह मंत्रालय से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

ग. संयुक्त उद्यम कम्पनी, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आव्रजन सेवाओं के प्रावधान के लिए गृह मंत्रालय से खरीद करेगी।

घ. हवाईअड्डे के प्रबंधन में उच्च निर्णय लेने वाले पदों पर नियुक्ति से पहले विदेशियों के पूर्ववृत्त का पूर्व-सत्यापन होना चाहिए।

ङ. हवाईअड्डे पर निर्माण, ग्राउंड हैंडलिंग या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए नियुक्त की जाने वाली विदेशी फर्मों की साख का पूर्व सत्यापन होना चाहिए।

च. हवाईअड्डे के निर्माण/विकास में यदि कोई एफडीआई सीमा हो तो, उसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा तथा संबंधित सुरक्षा एजेंसियों और मंत्रालयों/विभागों की राय लेने के बाद ही मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए।

छ. प्रत्येक निजी हवाईअड्डे के लिए पायलटों, यात्रियों और उनके सामान की अपहरण-रोधी, तोड़फोड़-रोधी जाँच हेतु सुरक्षा एजेंसियों को नामित किया जाना चाहिए।

ज. हवाईअड्डा प्राधिकरण के लिए बीसीएएस और डीजीसीए द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए।

झ. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों/यात्रियों की हैंडलिंग हेतु आवश्यक अवसंरचना मौजूद होनी चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के चालक दल के सदस्यों सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आव्रजन जाँच से गुजरना अनिवार्य होगा।

(i) केरल सरकार द्वारा उपर्युक्त शर्तें निविदा दस्तावेजों में दर्शाई जाएंगी।

2. लाइसेंस जारी करते समय डीजीसीए द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसिंग शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इनके अतिरिक्त डीजीसीए यह भी सुनिश्चित करेगा कि जेवीसी को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय उपर्युक्त निर्धारित शेष शर्तें पूरी की गई हैं।

3. ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे संबंधी नीति पर काम चल रहा है। घोषणा होने पर कन्नूर में प्रस्तावित परियोजना उक्त नीति का अनुपालन करेगी।

ह./-
(अन्ना रॉय)
निदेशक
टेलीः 24658991

सेवा में,
श्री पी.जे. थॉमस,
मुख्य सचिव,
केरल सरकार, सचिवालय,
तिरुवनंतपुरम, केरल।

प्रतिलिपि:

1. श्री मधुकर गुप्ता, सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. श्री विजय सिंह, सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सुश्री मीना गुप्ता, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली।
4. डॉ. डी. सुब्बा राव, सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. श्री गजेंद्र हल्दिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सलाहकार, नई दिल्ली।
6. श्री के. गोहेन, नागर विमानन महानिदेशक, सफदरजंग हवाईअड्डे के सामने, नई दिल्ली।
7. डॉ. के. रामालिंगम, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली।

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
नई दिल्ली- 110003
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJIV GANDHI BHAWAN, SAFDARJUNG AIRPORT
NEW DELHI- 110003

सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना

आवेदन संख्या: एवी.20036/002/2007-एएआई
आवेदक का नाम: बंगाल एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पता: 5-गोर्की टेरेस (द्वितीय तल),
कोलकाता- 700020, पश्चिम बंगाल।

निर्णय: संचालन समिति ने दिनांक 3 दिसंबर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के अंडाल-फरीदपुर ब्लॉक में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक ग्रीनफील्ड घरेलू हवाईअड्डे की स्थापना हेतु आवेदन पर विचार किया और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के समस्या के निवारण करने के अध्यधीन 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया।

ह./
(विजय सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 24640217

दिनांक: 11.12.2008

नागर विमानन मंत्रालय
नई दिल्ली- 110003
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJIV GANDHI BHAWAN, SAFDARJUNG AIRPORT
NEW DELHI- 110003

<u>सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना</u>

आवेदन संख्या: एवी.24011/03/2007-एडी
आवेदक का नाम: दि ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड
पता: सी/ओ शुगर मिल्स कॉलोनी, डबरा
जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश

निर्णय: संचालन समिति ने दिनांक 3 दिसंबर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में मध्य प्रदेश के बदोंकलन/भैसनारी, जिला-दतिया/ग्वालियर में विशेष कार्गो के लिए एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु आवेदन पर विचार किया और हवाईअड्डा प्रचालक के सीमा शुल्क, सुरक्षा आदि जैसी केंद्रीय एजेंसियों के संचालन के लिए आवश्यक स्थान और अवसंरचना उपलब्ध करवाने की शर्त के अध्यधीन 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया।

ह./
(विजय सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 24640217

दिनांक: 11.12.2008

<u>गोपनीय</u>

प्रतिलिपि संख्या **4**

संख्या सीसीईए/33/2008

<u>मंत्रिमंडल सचिवालय</u>

दिनांक 16 अक्टूबर, 2008, गुरुवार, को 1130 बजे, सम्मेलन कक्ष (सं.155), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित की गई आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक के कार्यवृत्त का सार

<u>मामला संख्या 198/सीसीईए/2008</u> **<u>मद 8</u>**

<u>पाक्योंग, सिक्किम में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण</u>

समिति ने नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन मंत्रालय) के दिनांक 08.10.2008 के नोट पर विचार किया तथा उसके पैराग्राफ 7 में निहित प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया कि परियोजना की लागत सार्वजनिक निवेश बोर्ड की सिफारिश के अनुसार 309.46 करोड़ रुपए तक सीमित रखी जाए।

<u>गोपनीय</u>

केएसएस

11 प्रतिलिपियाँ

मंत्रिमंडल की कार्यवाही के संबंध में प्रक्रिया नियम (नियम 10) के अनुसार, निर्णय को लागू करने की कार्रवाई की प्रगति को मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जानकारी के लिए मंत्रालय के मासिक सारांश में शामिल किया जा सकता है।

निर्णय के कार्यान्वयन के लिए कृत कार्रवाई की जानकारी कार्यसूची नोट के साथ संलग्न कार्यान्वयन अनुसूची के संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय को दी जा सकती है।

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

<u>सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना</u>

आवेदन संख्या: एवी.20015/012/2009-एडी

आवेदक का नाम: महानिदेशक, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

पता: 13-सी, विपिन खंड, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश

निर्णय: संचालन समिति ने दिनांक 12.04.2010 को आयोजित अपनी बैठक में 'सार्वजनिक उपयोग' के लिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसिया में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए आवेदन पर विचार किया। संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार को 'सार्वजनिक उपयोग' श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन के लिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसिया में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है, यदि इसमें रक्षा मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों और गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग और अन्य विनियामक एजेंसियों, यदि कोई हो, की आवश्यक अपेक्षाओं और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए आवश्यक सभी अनिवार्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

<u>'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें</u>

(i) हवाईअड्डों पर एटीएस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एसओपी को हवाईअड्डों के प्रचालित होने से पहले रक्षा मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन महानिदेशालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा सकता है।

(ii) चयनित प्रमोटर को नागर विमानन महानिदेशालय और अन्य विनियामक एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

(iii) उत्तर प्रदेश सरकार इस परियोजना के विकास के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु एक समय-सीमा/रोडमैप दर्शाये तथा सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के एक माह के भीतर केन्द्रीय सरकार को सूचित करे।

ह./

(ओमा नन्द)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष- 24640214

दिनांक: 21.09.2010

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

<u>सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना</u>

आवेदन संख्या: एवी.24032/057/2007-एएआई

आवेदक का नाम: कराईकल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

पता: संख्या 28, कन्नाडियार स्ट्रीट, कराईकल

पुडुचेरी- 609602

निर्णय: संचालन समिति ने दिनांक 11.01.2011 को आयोजित अपनी बैठक में 'सार्वजनिक उपयोग' के अंतर्गत पुडुचेरी के कराईकल क्षेत्र के पोनबेथी, पुथाकुडी और वरीचिकुडी राजस्व गांवों के क्षेत्रों को कवर करते हुए स्थल पर एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए आवेदन पर विचार किया। संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने पुडुचेरी में कराईकल क्षेत्र के पोनबेथी, पुथाकुडी और वरीचिकुडी राजस्व गांवों के क्षेत्रों को शामिल करते हुए स्थल पर एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए 'सार्वजनिक उपयोग' श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय प्रचालन हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है, यदि इसमें रक्षा मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों और गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग और अन्य विनियामक एजेंसियों, यदि कोई हो, की आवश्यक अपेक्षाओं और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए आवश्यक सभी अनिवार्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

<u>'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें</u>

(i) चयनित प्रमोटर को नागर विमानन महानिदेशालय और अन्य विनियामक एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

(ii) मेसर्स कराईकल एयरपोर्ट लिमिटेड इस परियोजना के विकास के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु एक समय-सीमा/रोडमैप दर्शाये तथा सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के एक माह के भीतर केंद्र सरकार को सूचित करे।

ह./

(ओमा नन्द)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष- 24640214

दिनांक: 24.02.2011

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

<u>सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना</u>

आवेदन संख्या :	**एवी.20015/**013**/20**09**-एडी**
आवेदक का नाम :	**महाराष्ट्रा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (पब्लिक लिमिटेड कंपनी, महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम)**
पता :	**8वां तल, वर्ड ट्रेड सेंटर, सीयूएफएफई परेड, मुंबई-4000005**

निर्णय: संचालन समिति ने 11.01.2011 को आयोजित अपनी बैठक में सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले के शिरडी के निकट काकड़ी गांव, तालुका कोपरगांव में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए आवेदन पर विचार किया। संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार को सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिए महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले के शिरडी के निकट काकड़ी गांव, तालुका कोपरगांव में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है, बशर्ते कि इसमें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए आवश्यक सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों, बशर्ते कि रक्षा मंत्रालय, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; और अन्य एजेंसियों, यदि कोई हो, द्वारा निर्धारित शर्तों और देश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए।

<u>'सैद्धांतिक' अनुमोदन की शर्तें</u>

(i) सेना विमानन केंद्र, नासिक रोड से अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

(ii) चयनित प्रमोटर को डीजीसीए, एएआई और अन्य विनियामक एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

(iii) महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड इस परियोजना के विकास के लिए किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों के लिए समय-सीमा/रोडमैप का संकेत दे सकती है और सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के एक महीने के भीतर केंद्र सरकार को सूचित कर सकती है।

ह/-
(ओमा नंद)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेली-24640214

दिनांक: 12.05.2011

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

<u>सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना</u>

आवेदन संख्या	:	**एवी.20015/26/2015-एडी**
आवेदक का नाम	:	**मेसर्स धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (DLACL)**
पता	:	**ब्लॉक नंबर 18, 8वीं मंजिल, उद्योग भवन, सेक्टर-11, गांधीनगर-382017, गुजरात।**

निर्णय: संचालन समिति ने 28.12.2015 को आयोजित अपनी 22वीं बैठक में 'सार्वजनिक उपयोग' के तहत नवगाम गांव के पास स्थल पर एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए आवेदन पर विचार किया। संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों, यदि कोई हो, द्वारा लगाई गई शर्तों और समय-समय पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी देश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, 'सार्वजनिक उपयोग' श्रेणी के लिए गुजरात के अहमदाबाद जिले के नवागाम गांव, तालुका धुंधुक में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए अपनी 'सैद्धांतिक' मंजूरी देती है।

<u>'सैद्धांतिक' मंजूरी देने की शर्तें</u>

(i) मेसर्स धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड को प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 36 महीने के भीतर परियोजना के विकास के पहले चरण को पूरा करना आवश्यक है। यदि परियोजना का पहला चरण 36 महीने की दी गई समय सीमा के भीतर पूरा नहीं होता है, तो दी गई अनुमति वापस ली जा सकती है, जब तक कि इसे बढ़ाया न जाए।

(ii) मेसर्स धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड को प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 36 महीने के भीतर परियोजना के विकास के पहले चरण को पूरा करना आवश्यक है। धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कंपनी लिमिटेड को परियोजना का एक मास्टर प्लान प्रस्तुत करना है, जिसमें क्रमिक तरीके से प्राप्त की जाने वाली सभी गतिविधियों और लक्ष्यों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(iii) मेसर्स धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम की सिफारिशों का यथासंभव अनुपालन करेगी।

(iv) मेसर्स धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, 2008 की नीति के अनुसार लागत वसूली के आधार पर सीमा शुल्क, आव्रजन और अन्य नामित प्राधिकरणों को आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करेगी।

(v) चयनित प्रमोटर को डीजीसीए, एएआईएल और अन्य नियामक एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

(vi) परियोजना में वाप्कोस द्वारा अपनी रिपोर्ट में अनुशंसित शमन उपायों को शामिल किया जाएगा। 716 के. भाटिया) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष-24640217 दिनांक: 27.01.2016.

ह/-
(यू.के. भाटिया)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-24640217

दिनांक: 27.01.2016

<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

सं. AV.20015/26/2015-AD
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
एडी अनुभाग

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली
दिनांक 08.02.2016

सेवा में,

श्री अजय भादू,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड,
6वीं मंजिल, ब्लॉक नंबर 1 और 2,
उद्योग भवन, सेक्टर-11,
गांधीनगर-382017, गुजरात।

[शुद्धिपत्र]

विषय: गुजरात के अहमदाबाद के नवागाम गांव में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी के संबंध में।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 27.01.2016 के पत्र का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें उपर्युक्त विषय के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी के संबंध में प्रमाण पत्र की एक प्रति भेजी गई है। यह कहा गया है कि प्रमाण पत्र में दिए गए तालुका का नाम धुंधुक के स्थान पर धोलेरा पढ़ा जा सकता है। प्रमाण पत्र में निर्धारित अन्य नियम और शर्तें समान रहेंगी।

भवदीय,
ह/-
डब्लू (यूके भाटिया)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष-24640217

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, गुजरात सरकार, गांधीनगर-382020, गुजरात।
2. श्री अमिताभ कांत, सचिव, परिवहन विभाग। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110107
3. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।
4. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. डीजीसीए, सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली।

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

<u>सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना</u>

आवेदन संख्या :
एवी.20015/111/2015-एडी
आवेदक का नाम : **भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (बीआईएसीएल)**
पता : **#10-2-1, तृतीय तल, एफ़डीसी कॉम्प्लेक्स, एसी गार्ड्स, हैदराबाद - 500028**

निर्णय: सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित शर्तों और रक्षा मंत्रालय के दिनांक 15.12.2015 के पत्र सं. 2(12)/2015/डी(एयर-II), आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 10.08.2016 के का.ज्ञा., राजस्व विभाग के दिनांक 23.09.2016 के पत्र, नागर विमानन महानिदेशालय के पत्र, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के दिनांक 21.09.2016 के यूओ नोट के अवलोकन, विभिन्न अन्य सरकारी मंत्रालय/विभागों और अंतरराष्ट्रीय परिचालनों के लिए हवाईअड्डा अवसंरचना नीति, 1997 के प्रावधानों/नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन सहित शर्तों के अध्यधीन, कुरनूल जला, आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक उपयोग के लिए **ओरवाकल घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे** की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

<u>'सैद्धांतिक' अनुमोदन की शर्तें</u>

(i) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वित्तीय बोली की अंतिम तिथि से पहले पूरी हो जानी चाहिए।
(ii) एजेंसी द्वारा एएआई के पैनल पर ओएलएस सर्वेक्षण किया जाएगा और संदर्भ की शर्तें (टीओआर) एएआई द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
(iii) राज्य सरकार और परियोजना प्रस्तावक, प्रस्ताव के संबंध में बाद में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए अनुरोध नहीं करेंगे।
(iv) परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 के अनुसार होना चाहिए।
(v) अप्रोच रोड और हवाईअड्डे के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए।
(vi) प्रमोटर को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

ह/-
(वेंकटरमन हेगड़े)
निदेशक
दूरभाष - 24610366

दिनांक: 07.10.2016

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

<u>सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना</u>

आवेदन संख्या :
एवी.20015/111/2015-एडी

आवेदक का नाम : **भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (बीआईएसीएल)**

पता : **#10-2-1, तृतीय तल, एफ़डीसी कॉम्प्लेक्स, एसी गार्ड्स, हैदराबाद - 500028**

निर्णय: सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित शर्तों और रक्षा मंत्रालय के दिनांक 15.12.2015 के पत्र सं. 2(12)/2015/डी(एयर-II), आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 10.08.2016 के का.ज्ञा., राजस्व विभाग के दिनांक 23.09.2016 के पत्र, नागर विमानन महानिदेशालय के पत्र, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के दिनांक 21.09.2016 के यूओ नोट के अवलोकन, विभिन्न अन्य सरकारी मंत्रालय/विभागों और अंतरराष्ट्रीय परिचालनों के लिए हवाईअड्डा अवसंरचना नीति, 1997 के प्रावधानों/नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन सहित शर्तों के अध्यधीन, नेल्लूर के समीप दगदरथी में सार्वजनिक उपयोग के लिए **घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे** की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

<u>'सैद्धांतिक' अनुमोदन की शर्तें</u>

(i) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वित्तीय बोली की अंतिम तिथि से पहले पूरी हो जानी चाहिए।
(ii) एजेंसी द्वारा एएआई के पैनल पर ओएलएस सर्वेक्षण किया जाएगा और संदर्भ की शर्तें (टीओआर) एएआई द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
(iii) राज्य सरकार और परियोजना प्रस्तावक, प्रस्ताव के संबंध में बाद में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए अनुरोध नहीं करेंगे।
(iv) परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 के अनुसार होना चाहिए।
(v) अप्रोच रोड और हवाईअड्डे के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए।
(vi) प्रमोटर को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

ह/-
(वेंकटरमन हेगड़े)
निदेशक
दूरभाष - 24610366

दिनांक: 07.10.2016

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

<u>सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना</u>

आवेदन संख्या :

एवी.20015/111/2015-एडी

आवेदक का नाम : **भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (बीआईएसीएल)**

पता : **#10-2-1, तृतीय तल, एफ़डीसी कॉम्प्लेक्स, एसी गार्ड्स, हैदराबाद - 500028**

निर्णय: सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित शर्तों और रक्षा मंत्रालय के दिनांक 15.12.2015 के पत्र सं. 2(12)/2015/डी(एयर-II), आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 10.08.2016 के का.ज्ञा., राजस्व विभाग के दिनांक 23.09.2016 के पत्र, नागर विमानन महानिदेशालय के पत्र, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के दिनांक 21.09.2016 के यूओ नोट के अवलोकन, विभिन्न अन्य सरकारी मंत्रालय/विभागों और अंतरराष्ट्रीय परिचालनों के लिए हवाईअड्डा अवसंरचना नीति, 1997 के प्रावधानों/नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन सहित शर्तों के अध्यधीन, विशाखापत्तनम के निकट, विजयनगरम जिले में सार्वजनिक उपयोग के लिए **भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे** की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

<u>'सैद्धांतिक' अनुमोदन की शर्तें</u>

(i) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वित्तीय बोली की अंतिम तिथि से पहले पूरी हो जानी चाहिए।

(ii) एजेंसी द्वारा एएआई के पैनल पर ओएलएस सर्वेक्षण किया जाएगा और संदर्भ की शर्तें (टीओआर) एएआई द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

(iii) राज्य सरकार और परियोजना प्रस्तावक, प्रस्ताव के संबंध में बाद में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए अनुरोध नहीं करेंगे।

(iv) परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 के अनुसार होना चाहिए।

(v) अप्रोच रोड और हवाईअड्डे के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए।

(vi) प्रमोटर को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

ह/-

(वेंकटरमन हेगड़े)

निदेशक

दूरभाष - 24610366

दिनांक: 07.10.2016

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

<u>सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना</u>

आवेदन संख्या :
एवी.20015/8/2017-एडी

आवेदक का नाम : **निदेशक, नागर विमानन, उद्योग और खान विभाग, गुजरात सरकार.**

पता : **गुजसेल कॉम्प्लेक्स, एन.आर. टोरंट सब-स्टेशन, एसवीपीआई हवाईअड्डा, अहमदाबाद-380003, गुजरात.**

निर्णय: सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित शर्तों और हवाईअड्डा अवसंरचना नीति, 1997 के प्रावधानों/नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन सहित शर्तों के अध्यधीन गुजरात के राजकोट जिले के हीरासर में सार्वजनिक उपयोग के लिए **राजकोट अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे** की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

<u>'सैद्धांतिक' अनुमोदन की शर्तें</u>

(i) गुजरात सरकार सम्पूर्ण भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को निःशुल्क सौंप देगी।
(ii) राज्य सरकार, एएआई को परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए नए हवाईअड्डे में होने वाली पूंजीगत और प्रचालन लागत को पूरा करने के लिए मौजूदा राजकोट हवाईअड्डे की भूमि का मुद्रीकरण/उत्तोलन की अनुमति और सुविधा प्रदान करेगी।
(iii) राजकोट के हीरासर में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का प्रचालान शुरू हो जाने पर, राजकोट में मौजूदा एएआई हवाईअड्डे का प्रचालन बंद कर दिया जाएगा।
(iv) राज्य सरकार रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आईएमडी, गृह मंत्रालय, डीजीसीए द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को पूरा करेगी।
(v) परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 के अनुसार होना चाहिए।
(vi) प्रमोटर को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

ह/-
(एस. वी. रमण)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष - 24610374

दिनांक: 09.10.2017

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

<u>सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना</u>

आवेदन संख्या :	**एवी.20015/34/2015-एडी**
आवेदक का नाम :	**निदेशक, नागर विमानन,** **उत्तर प्रदेश सरकार।**
पता :	**नागर विमानन महानिदेशालय,** **उत्तर प्रदेश सरकार,** **लखनऊ हवाईअड्ड** **लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226009.**

सक्षम प्राधिकारी ने हवाईअड्डा अवसंरचना नीति, 1997 के प्रावधानों/ नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन सहित नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के दिनांक 20.4.2018 के नोट और एएआई के दिनांक 20.4.2018 के यूओ नोट में निहित टिप्पणियों के अध्यधीन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर गांव के उत्तरी क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग के लिए **नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे** की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

<u>'सैद्धांतिक' अनुमोदन की शर्तें</u>

(i) परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 के अनुरूप होना चाहिए।
(ii) प्रमोटर को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और परियोजना को एनओसी देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
(iii) परियोजना प्रस्तावक को अन्य संबंधित सरकारी संगठनों/एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
(iv) नोएडा हवाईअड्डा परियोजना के प्रथम चरण के लिए बोली प्रक्रिया की अंतिम तारीख तक 80% भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।
(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा चिह्नित की गई बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।
(vi) वाईईआईडीए, हवाईअड्डे को मल्टी-मोड संपर्क प्रदान करना सुनिश्चित कर सकता है।
(vii) यमुना एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान में 30 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इमारतों/संरचनाओं के निर्माण पर लागू प्रतिबंध, प्रस्तावित हवाईअड्डे के आसपास की संरचनाओं/इमारतों के संबंध में भी लागू होगा। प्रस्तावित फनल पाथ में ऊंची इमारतों/ संरचनाओं को तब तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि हवाईअड्डे को लाइसेंस न मिल जाए और इसे अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है, तत्पश्चात मौजूदा कानूनों/नियमों के अनुसार ऊंचाई निर्धारण के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी।
(viii) निविदा प्रक्रिया सहित परियोजना का क्रियान्वयन एएआई और भारत सरकार द्वारा दिल्ली इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (डीआईएएल) के साथ हस्ताक्षरित प्रचालन, प्रबंधन और विकास समझौते (ओएमडीए) और राज्य

सहायता समझौते (एसएसए) के अनुरूप किया जाएगा। वाईईआईडीए अपने कानूनी सलाहकार से मौजूदा समझौतों के प्रावधानों को देखने और तदनुसार मामले में आगे बढ़ने के लिए कह सकता है।

ह/-
(वेंकटरमन हेगड़े)
निदेशक
दूरभाष - 24610366

दिनांक: 08 मई, 2018

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

<u>साइट क्लीयरेंस और सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना</u>

आवेदन संख्या : **सं. एवी.24018/25/2015-एडी**

आवेदक का नाम : **मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003.

निर्णय: संचालन समिति ने होलोंगी, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए आवेदन पर विचार किया है। संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय सरकार, रक्षा मंत्रालय (एमओडी), नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और विभिन्न केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा लागू की गई शर्तों और समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन, 'सार्वजनिक उपयोग' श्रेणी के लिए **होलोंगी, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में घरेलू ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे** की स्थापना के लिए अपनी 'साइट क्लीयरेंस' और 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करती है।

<u>'साइट क्लीयरेंस' और 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें</u>

(i) राज्य सरकार हवाईअड्डे के स्थल को भरने के लिए आवश्यक मिट्टी भराई सामग्री की आपूर्ति के लिए साइट की पहचान करेगी।

(ii) राजमार्ग से हवाईअड्डे के स्थल तक अप्रोच रोड का निर्माण राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के वित्तीय स्रोतों से किया जाएगा।

(iii) हवाईअड्डे के लिए बिजली और पानी की आपूर्ति पर होने वाले व्यय को एएआई और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

(iv) परियोजना लागत में प्रस्तावित 50 करोड़ रुपए की लागत वाली होटल और अन्य गतिविधियों को हटा दिया जाएगा।

(v) तदनुसार, परियोजना लागत को पहले प्रस्तावित 1092.03 करोड़ रुपए से संशोधित कर 955.385 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उपर्युक्त अनुशंसित परियोजना लागत 90:10 (भारत सरकार: एएआई) के अनुपात में परियोजना के वित्तपोषण के लिए नागर विमानन मंत्रालय के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन करने हेतु वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के अध्यधीन है। तथापि, भूमि अधिग्रहण लागत और आर एंड आर में 242.90 करोड़ रुपए से अधिक की कोई भी वृद्धि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(vi) परियोजना का विकास राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 के अनुरूप होना चाहिए।

(vii) प्रमोटर को सभी विनियामक/सरकारी एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

(viii) आवश्यकता अनुसार अन्य संबंधित सरकारी संगठनों/एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

(ix) यह एनओसी जारी होने की तिथि से पांच वर्ष के लिए वैध है। यदि जिस निर्माण के लिए एनओसी जारी की गई है, वह जारी होने के पांच वर्ष के भीतर पूरा नहीं होता है या मूल प्रस्ताव से अलग पाया जाता है तो इस एनओसी को अमान्य माना जाएगा। प्रस्ताव के लिए नया एनओसी प्राप्त करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

(x) प्रचालक, रक्षा और अन्य अर्धसैनिक विमानों के लिए रेडियो नेविगेशन-सहायता, लैंडिंग और पार्किंग सुविधाओं सहित एयरोड्रोम सेवाएं निःशुल्क प्रदान करेगा। इसके लिए, हेलीपोर्ट प्रचालक को पार्किंग क्षेत्र, तकनीकी सहायता सेवाएं, पारगमन और अन्य सेवाओं को पहले से ही चिह्नित करना होगा।

(xi) जब भी अनुरोध किया जाएगा, तब सैन्य विमान प्रचालन के लिए हवाईअड्डे पर रेडियो दिक्चालन सहायता बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी।

ह/-
(वेंकटरमन हेगड़े)
निदेशक
दूरभाष - 24610366

दिनांक: 18.01.2019